संख्या- 29/2017 /1861/सत्रह-म-2017-10-5(54)/97

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,
लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

विषय - "लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु कुक्कुट पालन के विकास की योजना" के अन्तर्गत क्रय की गयी निर्माण सामग्री में से वर्तमान में अवशेष/अप्रयुक्त निर्माण सामग्री के निस्तारण हेतु दिनांक 31-05-2017 को सम्पन्न ई-नीलामी में आरक्षित मूल्य से अधिक प्राप्त उच्चतम बोलियों से सम्बंधित लाटों के निस्तारण एवं शेष अन्य लाटों पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-922/मविनि/एम0डी0 दिनांक 21 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि वर्ष 1992-93 में लघु एवं सीमान्त कृषकों के उन्नयन हेतु शतप्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित "लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु कुक्कुट पालन के विकास की योजना" के अन्तर्गत कुक्कुट काम्पलेक्सों के निर्माण हेतु नामित निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा क्रय की गयी निर्माण सामग्री में से रू0 165.58 लाख की निर्माण सामग्री शेष बच गयी थी।

3- दिनांक 26-10-2016 को सम्पन्न मूल्यांकन समिति की बैठक में रू0 165.58 लाख की उक्त् अवशेष निर्माण सामग्री का मूल्यांकन करते हुए उसका आरक्षित मूल्य रू0 1,22,90,365 निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी थी, जिसके क्रम में उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा दिनांक 31-05-2017 को भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स एम0एस0टी0सी0 लि0 (METAL AND SCRAP TRADING CORPORATION LTD.) के माध्यम से भण्डारित अवशेष /अप्रयुक्त निर्माण सामग्री को 13 लाटों में वर्गीकृत कर ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। उक्त नीलामी में लाट सं0-05, लाट सं0-06, लाट सं0-07, लाट सं0-09,लाट सं0-10 एवं लाट सं0-12 हेतु उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक प्राप्त हुई। लाट सं0- 01,लाट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

सं0-02, लाट सं0-03, लाट सं0- 08 एवं लाट सं0-11 हेतु उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से कम प्राप्त हुई तथा लाट सं0-04 एवं लाट सं0-13 हेतु कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई ।

4 – उक्त अवशेष /अप्रयुक्त निर्माण सामग्री के निस्तारण हेतु उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में करायी गयी नीलामियों/ई-नीलामी के विवरण (संलग्नक-ए) में जिन लाटों हेतु प्राप्त उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से कम है, वह लाल रंग में अंकित है,जिन लाटों की कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है, वह ऑरेज रंग में तथा जिन लाटों हेतु आरक्षित मूल्य से अधिक उच्चतम बोली प्राप्त हुई है, उसे हरे रंग मे अंकित किया गया है । प्रत्येक लाट संख्या का वर्तमान अवमूल्यित मूल्य संलग्नक–ए की तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित किया गया है। भण्डारित अवशेष /अप्रयुक्त निर्माण सामग्री के वर्तमान अवमूल्यित मूल्य (DEPRECIATED VALUE)की गणना के विवरण(संलग्नक-बी) में सामग्री /लाटों के वर्तमान मूल्य के आकलन का आधार, अवमूल्यित मूल्य की दर व वर्तमान स्क्रैप मूल्य अंकित किया गया है। संलग्नक–ए व संलग्नक-बी की प्रति संलग्न है ।

5- दिनांक 31-05-2017 को मैसर्स एम0एस0टी0सी0 लि0 (METAL AND SCRAP TRADING CORPORATION LTD.) के माध्यम से सम्पादित की गयी ई- नीलामी में विभिन्न लाटों हेतु आरक्षित मूल्य एवं प्राप्त उच्चतम बोली का विवरण चार्ट के रूप में निम्नवत है –

लाट संख्या	आरक्षित मूल्य (रूपये में)	प्राप्त उच्चतम बोली (रूपये में)
लाट संख्या-5	23,96,681	25,39,437
लाट संख्या –6	9,81,958	10,97,601
लाट संख्या – 7	3,02,778	3,20,841
लाट संख्या – 9	8,08,670	8,38,169
लाट संख्या –10	11,05,269	13,50,861
लाट संख्या –12	1,17,065	1,23,526

6- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 31-05-2017 को मैसर्स एम0एस0टी0सी0 लि0 के माध्यम से सम्पादित की गयी ई-नीलामी में उक्तानुसार लाट संख्या–05, लाट संख्या–06, लाट संख्या–07,लाट संख्या–09, लाट संख्या–10, एवं लाट संख्या–12 हेतु आरक्षित मूल्य से अधिक प्राप्त उच्चतम बोलियों को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

7- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शेष लाटों क्रमश: लाट संख्या –01,02,03,08 एवं लाट संख्या-11 जिनके लिए आरक्षित मूल्य से कम उच्चतम बोली प्राप्त हुई है तथा लाट संख्या–04 एवं 13 जिनके लिए कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई है,उनके सम्बंध में मैसर्स एम0एस0टी0सी0 लि0 के माध्यम से पुन: ई-नीलामी की कार्यवाही करते हुए निस्तारण की कार्यवाही पर अनुमोदन हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

8- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक – यथोक्त ।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-29/2017/1861/ सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/ न्याय/पशुधन/ लोक निर्माण/ ग्रामीण अभियंत्रण/ सार्वजनिक उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक /संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिह यादव)
विशेष सचिव

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।